REVIEW OF RESEARCH

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 3.8014(UIF)
VOLUME - 6 | ISSUE - 4 | JANUARY – 2017

भाषा और पाठयक्रम की भाषा

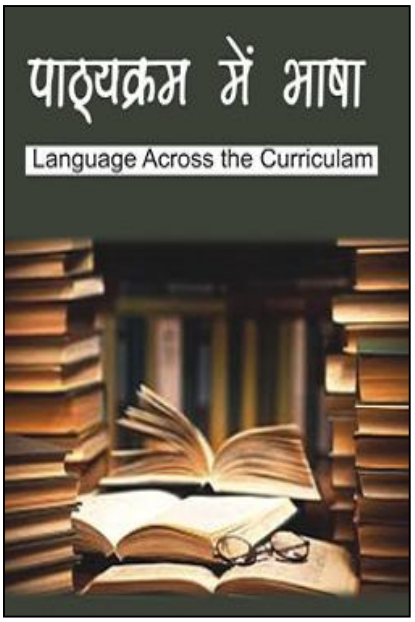

डॉ. हितेश एन. गांधी,
रत्नसिंहजी महिडा कॉलेज, राजपीपला, जि नर्मदा,गुजरात.

Key words : (१)वैश्विकरण (२) मातृभाषा (३) घरेलु भूमिका (४) क्षेत्रिय भाषा (५) सहायक भाषा (६) बजारवाद

INTRODUCTION :

वैश्विकरण के युग में भाषा और शिक्षा का प्रभाव ज्यादा है .इस लिए ही पाठयक्रमकी भाषा कया होनी चाहिए उसकी चर्चा जरुर हो ,खास तौर पर जब भारतकी वैविध्यपूर्ण और बायनरी अपोजिट परिपाटी पर जहा वैश्विकभाषा अंग्रेजी भाषा का प्रभाव है, राष्ट्रीय भाषा हिन्दी का प्रभाव स्वीकारते है और क्षेत्रिय भाषा का भी प्रभाव कम नही है उस समय पाठयक्रमकी भाषा एक उलझन है . भाषाविद् सोस्युरने भाषा को एक समाज की व्यवस्था बताया है . इस लिये व्यकित अपने समाज की भाषा बहुत अच्छी तरह समज शकता है और शिक्षा का पाठयक्रम भी अपने समाज की , क्षेत्र की भाषा के माध्यम में हो तो और अच्छा परिणाम पा शकते है . वीनोबाजी,गांधीजी और रवीन्द्रनाथ टागोरने मातृभाषामें शिक्षण का स्वीकार कीया है. बजारवाद के कारण कीतने विश्वभाषा अंग्रेजी का प्रभाव बढा है कभी कभी लगता है अंग्रेजी शिक्षा के सिवा मनुष्य तरककी नही कर शकता, विश्व के ज्ञान अर्जित करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा जरुरी है. इस लिये कही माता–पिता अपने संतानो को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने आकर्षित होते है, पर अंग्रेजी माध्यम पढा छात्र विषम परिस्थितिमे चला जाता देखा है– न तो वह ठीक से अंग्रेजी शीख पाता है न तो अपनी क्षेत्रिय भाषा समज पाता है फयुजन बनकर कनफयुजन बन जाता है.शिक्षा में इस बात को लेकर बहस होती हैं कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाए. तमाम बाल मनौवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, विद्वानों की गुहार को दरकिनार कर सरकारों ने कक्षा एक से अंग्रेजी पढाना शरु कर दिया. यह सिध्द हो चुका हैं कि मातृभाषा में शिक्षा बालक के उन्मुक्त विकास में ज्यादा कारगर होती हैं. अलग–अलग आर्थिक परिवेश के बालकों में विषय को ग्रहळ करने की क्षमता समान नहीं होती. अंग्रेजी में पढाए जाने पर और कठिनाई होती हैं. जिनका पूरा परिवेश ही अंग्रेजी भाषामय हो, ऐसे परिवार देश में कम ही है. मातृभाषा के माध्यम से जब पढाया जाता है तो बालकों के चेहरे उत्फुल्लित दिखाई देते हैं. एक तो अंग्रेजी सीखनी पडती है–वह पडी हुई नहीं मिल जाती. लेकिन सरकारों ने ठान लिया है कि बच्चों को अंग्रेजी के माध्यम से ही पढाना है. भाषा सीखना अच्छी बात है और गुळकारी भी है. भाषा हमें एक नये संसार में प्रवेश कराती हैं. लेकिन मातृभाषा की उपेक्षा कर शिक्षा के माध्यम से उसे हटाकर जिस तरह के भाषा–संस्कार डाले जा रहे हैं, वह खतरनाक है. बालक न अंग्रेजी जान पा रहा है न मातृभाषा. एक खिचडी भाषा वह भी अधजली का संस्कार मिल रहा है. प्रायः हर पालक की शिकायत है

कि उसका बच्चा छत्तीस नहीं समझता थर्टीसिक्स बोलो तब समझता है. उनयासी कहो तो पूछता है–यह क्या होता है. सेवन्टी नाइन कहो तब कहेगा तो ऐसा बोलो न. किसी भाषा का कोई शब्द जो पूरा अर्थ दे, अपनी भाषा में लेना गलत नहीं है. दुनिया की हरभाषा इसी तरह ग्रहळ कर समृद्ध होती चली है. हिन्दी में उर्दू, फारसी, संस्कृत सहित लोकभाषाओं के ढेरों शब्द हैं. अपनी इस लम्बी यात्रा में हिन्दी ने बाहर से खूब ग्रहळ किया है. अंग्रेजी के भी ढेरों शब्द हैं. मोटर, रेलगाडी, रोड, टाईम शब्द हिन्दी के हो गई हैं. काफी समय हो गया. पिछली पीढी पढने के लिए अपना गांव छोड शहर में आई तो बाल बनवाने के लिए उसका परिचय हेयर कटिंग सेलून से हुआ और वह बाल बनवाने नहीं, कटिंग करवाने जाता. इन सबसे हिन्दी समृद्ध हुई है. आज मोबाइल के साथ 'मिस काल' आया और गांव–गांव में रच बस गया. एक ठन मिस काल मार देबे–आम अभिव्यक्ति है. ई–मेल, इंटरनेट, कम्प्यूटर, लैपटाप, फेसबुक आदि शब्द हिन्दी में चल निकले. इनका हिन्दी में अनुवाद करना हास्यास्पद होना है. यह भी विचार करना चाहिए कि किसी और भाषा से शब्द लेना एक बात है, लेकिन खिचडी वाक्य बनाना निरी मूर्खता है. दिक्कत यह है कि हमारे हिन्दी के कुछ समाचार पत्र ऐसी भाषा लिखने लगे हैं जो हास्य एपिसोड में तो काम आ सकती हैं, भाषा की गम्भीरता का मजाक बनाती हैं. ऐसे अखबारों ने कार्पोरेट होने का भ्रम पाल रखा है. आज ऐसे पूरा भाषा–संस्कार भ्रष्ट कर रहे हैं. शब्द लेना ठीक, लेकिन हमारी भाषा के सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया और तो और पूरा वाक्य विन्यास का सत्यानाश करने में तुल गए हैं. स्टुडेंट्स फेस्टीवल इन्जाय किया यह कैसी भाषा है. लिखित और बोलने के वाक्य में फर्क होता हैं. दरअसल न तो इन्हें मातृभाषा आतीन न अंग्रेजी. बहुत पहले जब अंग्रेजी आए तो उनके नौकर जो भाषा बोलते उसे बटलर भाषा कहा जाता. अगर समाज में कोई ऐसी भाषा बोलता तो उसका मजाक उडाया जाता कि क्या बटलर भाषा बोल रहे हो. अगर हम हिन्दी की ही बात करें तो कार्पोरेट उसके व्यावसायिक उपयोगिता समझता है. हिन्दी बाजार की, धंधे की विज्ञापन की भाषा के रुप में कार्पोरेट को स्वीकार है. केन्द्र सरकार ने अपने कार्यालयों में हिन्दी में कामकाज को बढावा देने का उपक्रम किया है. हर साल १४ सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है. लेकिन कार्पोरेट में हिन्दी का कामकाज के लिए कोई जगह नहीं है. हिन्दी उनके उत्पाद के व्यापार के लिए स्वीकार्य है. अंग्रेजी माध्यमों के विद्यालयों में जिस अंग्रेजी की शिक्षा दी जा रही है वह केवल सेल्समैन पैदा करने के काम आर ही है. पुराने मेट्रिक पास अच्छी अंग्रेजी लिखा करते थे. ऊंची से ऊंची नौकरी पाने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी मैं निष्णात होनाब हुत अच्छी बात है, जरुरी भी है. लेकिन मातृभाषा की कीमत पर अंग्रेजी नहीं सीखी जा सकती ऐसा करने पर आधा तीतर आधा बटेर की स्थिति होगी.

अंग्रेजी माध्यम के कुछ विद्यालयों में विद्यालय परिसर में हिन्दी या मातृभाषा में बात करते पाए जाने पर दंडित किया जाता है. कुछ विद्यालय तो एकदम आगे हैं, वे माता–पिता की शैक्षणिक योग्यता को बच्चों के प्रवेश का आधार बनाते हैं. बहरहाल एक बडा वर्ग मातृभाषा की उपयोगिता समझता है. कुछ समय पहेले जालंधर की एक खबर छपी थी . वहां तमाम सरकारी स्कूलों और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों ने सामूहिक रुप से २१ फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया. बच्चों ने, विद्यालय समितियों ने एक स्वर से पंजाबी बोलने पर जोर दिया इनमें कुछ–कुछ ऐसे विद्यालय भी शामिल हुए जिनके विद्यालयों में पंजाबी बोलना प्रतिबिंधित था. आज सबने मातृभाषा का महत्व समझा. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर और किसी राज्य में कार्यक्रम हुआ ऐसा पढने में नहीं आया. दरअसल शिक्षा का अधिकार का सवाल मातृभाषा में शिक्षा के साथ जुडा है. अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करना बच्चे का अधिकार हैं, उस पर दूसरी भाषा लाद देना उसके स्वाभाविक विकास में बाधा डालना भी है. किसी ने सही कहा है कि, ''बच्चा जिस भाषा में रोता है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है.'' जब भाषा की बात आती है तब स्वाभाविक तौर पर उससे जुडी हर बात भावुकता से जुड जाती है. भारतीय सभ्यता में भाषा को माता का स्वरुप माना जाता है. हर मनुष्य की तीन माताएं होती है. उसकी मातृभूमि, उसकी मातृभाषा और उसको पैदा करने वाली माता. इन तीनों माताओं का ऋण चुकाना हर मनुष्य का धर्म है. इन वाक्यो को इन वाक्यो को पढकर आपके अंदर जो भाव उत्तपन्न हुये वे सारे भाव भाषा के प्रति आपके परिचय का परिणाम है. यदि यही बात यहुदी में लिखी जाये तो वह

आपके लिये इतनी भावुकता पैदा करने वाली नहीं होगी जितनी आपकी मातृभाषा से उ–ापन्न होती है. शिक्षा के माध्यम को लेकर दिन कई बहस होती रहती है. जिसमे से अधिकांश नितर्थक होती है. पर माना हाता है की इन्सान जिस पृष्ठभुमि से आता हो और वहां जिस भाषा का प्रयोग होता है उसी माध्यम मे उसे शिक्षा मिलनी चाहिये. अपनी मातृभाषा मे शिक्षा पाना हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार भी है और उसका सौभाग्य भी. यदि हम विश्व के अन्य देशो का अभ्यास करे तो यह प्रतीत होता है कि वे क्षेत्रीय भाषा को कितना महत्व देते है . स्विडन में स्वीडीश – फिनलेन्ड में फिनीश, फ्रांस में फ्रेंच, ईटली में ईटालवी, ग्रीस में ग्रीक, जर्मनी में जर्मन, ब्रिटन में अंग्रेजी, चीन में चायनीझ और जापान में जापानी भाषाए शिक्षा का माध्यम है . यदि हम यह सोचते है कि विकास को बढावा देने के लिए शिक्षा का माध्यम कोड आंतराष्ट्रीय भाषा ही मददगार साबित होगी तो यह हमारा भ्रम है . जापान में जापानी का इस्तेमाल होता है फिर भी वह देश तकनीकी दृष्टि से विश्व में आगे है . चायनीझ बोलनेवाली प्रजाती विश्व की सर्वोपरी महासत्ताओ में एक कही जाती . इसी के चलते भारत के कई राज्यो में भाषा बचाव आंदोलन प्रायः होते रहते है. विषय का पक्षधर बनने की और मुझे भाषा की परिभाषा अत्यधिक प्रेरित करती है. सेपिर के अनुसार, ''मानवीय विचारो एवम भावनाओ को अभिव्यक्त करने वाली ध्वनिरुप व्यवस्था को भाषा कहते है.'' अर्थात मनुष्य की दो अनमोल विरासत वैचारिक समृद्धि एवम मानवीय संवेदना का स्वरुप कही जाने वाली भावनाओ की प्रतीकात्मक व्यवस्था. इस परिभाषा से स्पष्ट है कि भाषा मानवीय भावनाओ एवम विचारो की द्योत्तक है. भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है. यही वह हमारे आंतरिक एवं बाहय सृष्टी के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है. भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण और अपने इतिहास तथा परम्परा से विच्छिन्न है. सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान–प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है. भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार ''भाषा याद्दच्छिक वाचिक ध्वनि–संकेतों की वह पद्धति है, जिसके द्वारा मानव परम्पराओं एवं विचारों का आदान–प्रदान करता है.'' स्पष्ट ही इस कथन में भाषा के लिए बातों पर ध्यान दिया गया है–(१) भाषा एक पद्धति है, यानी एक सुसम्बद्ध और सुव्यवस्थित योजना या संघटन है, जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, आदि व्यवस्थिति रूप में आ सकते हैं.(२) भाषा संकेतात्मक है अर्थात् इसमे जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं, उनका किसी वस्तु या कार्य से सम्बन्ध होता है. ये ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं.(३) भाषा वाचिक ध्वनि–संकेत है, अर्थात् मनुष्य अपनी वागिन्द्रिय की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है, वे ही भाषा के अंतर्गत आते हैं. (४) भाषा याद्दच्छिक संकेत है. याद्दच्छिक से तात्पर्य है–ऐच्छिक, अर्थात् किसी भी विशेष ध्वनि का किसी विशेष अर्थ से मौलिक अथवा दार्शनिक सम्बन्ध नहीं होता. प्रत्येक भाषा में किसी विशेष ध्वनि को किसी विशेष अर्थ का वाचक 'मान लिया जाता है' है. फिर वह उसी अर्थ के लिए रूढ हो जाता है. कहने का अर्थ यह है कि वह परम्परानुसार उसी अर्थ का वाचक हो जाता है. दूसरी भाषा में उस अर्थ का वाचक कोई दूसरा शब्द होगा.

हम व्यवहार में यह देखते हैं कि भाषा का सम्बन्ध एक व्यक्ति से लेकर सम्पूर्ण विश्व–सृष्टि तक है. व्यक्ति और समाज के बीच व्यवहार में आने वाली इस परम्परा से अर्जित सम्पत्ति के अनेक रूप हैं. समाज सापेक्षता भाषा के लिए अनिवार्य है, ठीक वैसे ही जैसे व्यक्ति सापेक्षता. और भाषा संकेतात्मक होती है अर्थात् वह एक 'प्रतीक–स्थिति' है. इसकी प्रतीकात्मक गतिविधि के चार प्रमुख संयोजन हैः दो व्यक्ति–एक वह जो संबोधित करता है, दूसरा वह जिसे संबोधित किया जाता है, तीसरी सांकेतिक वस्तु और चौथी–प्रतीकात्मक संवाहक जो सांकेतिक वस्तु की ओर प्रतिनिधि भंगिमा के साथ संकेत करता है.विकास की प्रक्रिया में भाषा का दायरा भी बढता जाता है. यही एक समाज में एक जैसी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का बोलने का ढंग, उनकी उच्चारण–प्रक्रिया, शब्द–भंडार, वाक्य–विन्यास आदि अलग–अलग हो जाने से उनकी भाषा में पर्याप्त आ जाता है. इसी को शैली कह सकते हैं. इस विषय के पक्ष में कुछ दलीलें:

समस्या के समाधान हेतु किए गये कार्यो का समालोचनत्मक मूल्यांकन

विभिन्न आयोगों, समितियों और परिषदों द्वारा प्रस्तुत किए सुझावों में एक सुर में क्षेत्रीय भाषाओं या मातृभाषाओ को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है. साथ ही लगभग सभी ने त्रिभाषा–सूत्र के पालन पर जोर दिया है. इसके अलावा अँगेजी को धीरे–धीरे शिक्षा के माध्यम की मुख्य धारा से हटाने का भी सुझाव प्रस्तुत किया गया है. सबसे बडी विडंबना तो यह है कि एक तरफ लगभग सभी नीति–निर्माता इस बात पर सहमत हैं कि, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान टुकडे–टुकडे में बँटे देश को, एक सूत्र में पिराने का कार्य करने वाली एकमात्र भाषा हिन्दी ही रही है. हिन्दी भाषा की शिक्षा से ही भारतीय जनसमान में राष्ट्रप्रेम की भावना का उदय हुआ. साथ ही लगभग सभी का यह मानना है कि वैग्यानिक और वस्तुनिष्ठ आधुनिक अध्ययन के लिए हिन्दी भाषा का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, परन्तु दूसरी तरफ इस तथ्य पर सभी ने जोर दिया है कि, अंग्रेजी का मुख्य भाषा के रूप में अध्ययन राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है. इसके अलावा त्रिभाषा–सूत्र के रूप में नीति–निर्माताओं ने लगातार एक अव्यवहारिक और अनवश्यक बोझ विद्यार्थियों के उपर लादने का कार्यक्रम तय किया है. नीति–निर्माताओं ने इस तथ्य पर गंभीरता से विचार नही किया कि अंग्रेजी को प्राथमिक शिक्षा बनकर उच्च शिक्षा में वैगयानिकता, तथयपरकता और वस्तुनिष्ठता कैसे लाएँगे.

वर्तमान स्थिति

नेशनल यूनिवर्सिटी फार एजुकेशन प्लंनिक एंड एड्मिनिस्ट्रेशन (एन.यू.ई.पी.ए.)के अनुसार अब अधिकाधिक भारतीय अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढाना पसंद करते हैं. वर्ष २००३–०६ की अवधि के दौरान शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा का स्थान तीसरा हो गया है. इस अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालययों में नामांकन संख्या में ७४% की वृद्धि दर्ज की गयी है, अर्थात वर्ष २००३ में यह संख्या ५४.७ लाख थी, जो वर्ष २००६ में बढकर ६५.१ लाख हो गयी. योजना, सितंबर २००६, पृष्ठ संख्या ३६ के अनुसार अधिकांश दक्षिण भारतीय राज्यों में अंग्रेजी की वृद्धि दर अधिक है, जो इन तीन वर्षो में हुई वृद्धि का लगभग ६०% है. पूर्वोत्तर राज्यों में अंग्रेजी माध्यम में नामांकन सबसे अधिक अर्थात ६०% है.

शिक्षा का माध्यमः भाशाई समाधान हेतु सुझाव

"कैसी हो भारतीय शिक्षा प्रणालीः सुझाव" नामक लेख में भारत में शिक्षा के माध्यम की भाषा के निर्धारण हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं.ध्यान रहे कि इन सुझाव की सफलता हेतु कुछ विशेष परिस्थितियाँ आवश्यक हैं.

प्रथम मार्ग

१. प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा को स्थानीय या मातृभाषा पर आधारित किया जाय. अन्य राज्यों या राष्ट्रों से आने वाले विद्यार्थियों हेतु पाठ्यक्रम का अँग्रेजी भाषा में व्याख्या द्वारा शिक्षण कार्य किया जाय.

२. अंतरराष्ट्रीय ग्यान एवं विग्यान का स्थानीय या मातृभाषा में अनुवाद करने हेतु एक विभाग की स्थापना की जाय, ताकि शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय तत्व भी सम्मिलित रहें.

३. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अँग्रेजी एवं स्थानीय/मातृभाषा दोनो का प्रयोग किया हाय, इसके लिए आवेदन–पत्र द्वारा स्थानीय/मातृभाषा के उम्मीदवारों की संख्या ग्यात करके, उनके अनुसार प्रश्न–पत्रों का निर्माण किया जाय.

४. संस्कृत, उर्दू एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय भाषाओ को वैकल्पिक रूप से पढाया जाय. जिसके विद्यार्थियों को उचित सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान किय जाय.

प्रथम मार्ग के अनुपालन में कठिनाइयाँ

१. अंतरराष्ट्रीय ग्यान एवं विज्ञान के विभिन्न स्थानीय/मातृभाषाओं में अनुवाद में ज्यादा खर्च. वस्तुतः यह कोई व्यावहारिक समस्या नही है.

२. स्थानीय/मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने से अन्य क्षेत्रों से विद्याथियों के कट जाने का खतरा है. आदिवासी या पिच्छडे समुदाय पर यह खतरा ज्यादा मंडराएगा.

३. अँग्रेजी भाषा का पर्याप्त विकास ना होने से विदेशों में अध्ययन एवं रोजगार करना कठिन हो जाएगा यह एक भ्रमित मत है.

४. भारतीय संविधान द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने, व्यवसाय करने या निवास करने का अधिकार प्राप्त है, जो आवश्यक भी है. स्थानीय/मातृभाषाओं में –हिन्दी में शिक्षा प्रदान करने से इस सन्दर्भ में व्याहारिक समस्याओं उत्पन्न होंगी यह एक भ्रमित मत है.

५. वर्तमान सन्दर्भ में अँग्रेजी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक कहा जा सकता है, अतः इसे मात्र एक विषय के रूप में पढाकर कुशलता हासिल की जा सकती है.

द्वितिय मार्ग

१. प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा का मुख्य माध्यम स्थानीय/मातृभाषा को बनाया जाय. साथ ही अँग्रेजी भाषा में उसकी व्याख्या भी की जाय. इससे विद्यार्थियों को कुशलता हासिल होगी और वे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से सामंजस्य स्थापित कर सकेंगे.

२. स्थानीय/मातृभाषा को एक मुख्य माध्यम के रूप में पढाया जाय.

३. इसके अतिरिक्त प्रथम मार्ग के रूप में सुझाए गये सुझाव संख्या २ से ४ को द्वितिय मार्ग में भी अपनाया जानना चाहिए.

द्वितिय मार्ग के अनुपालन में कठिनाइयाँ

१. भारत में अँग्रेजी में दक्ष शिक्षक–शिक्षिकाओं का अभाव है. ऐसे में अँग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने से कठिनाई उत्पन्न होगी. इस समस्या की गहराई में जाए तो हम पाते हैं कि, इस समस्या को दूर करने हेतु शिक्षक–शिक्षिकाओं को उचित प्रशिक्षण प्रदान करके यह समस्या दूर की जा सकती है.

२. आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अँग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना कठिन होगा. वस्तुतः यह समस्या तब रहेगी जब शिक्षा का मुख्य माध्यम क्षेत्रीय या मातृभाषायें न होंगी. ऐसे में स्थानीय नागरिकों की शिक्षक–शिक्षिकाओं के रूप में भर्ती के उपरांत भी यह समस्या पीढी–दर–पीढी बनी रहेगी. जबकि अँग्रेजी भाषा को शिक्षा का एक सहायक माध्यम बनाने से यह समस्या कुछ पीढियों के बाद खत्म हो जाएगी.

निष्कर्श (Conclusion And Implication of Study) :

प्रस्तुत अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अब तक गठित लगभग सभी आयोगों, समितियों और परिषदों ने त्रिभाषा–सूत्र का समर्थन किया है और क्षेत्रीय अथवा मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम घोषित किया है. साथ ही नीति–निर्माताओं के अँग्रेजी के संबंध में स्वयं के विचारों में ही विरोधाभास मिलता है. ऐसा प्रतीत होता है कि, सुझाव प्रस्तुत करते समय, वक्त की माँग को खारिज करके, नीति–निर्माताओं ने अँग्रेजी भाषा के प्रति अपने पूर्वाग्रहो को अपने सुझावों पर हावी होने दिया है.

वर्तमान में अँग्रेजी माध्यम में नामांकन दर की वृद्धि को देखकर यह पूर्णतया स्पष्ट है कि शिक्षा के माध्यम की प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करने से ही वर्तमान समय की माँग को पूरा किया जा सकता है. सिर्फ

यही एक भाषा है जिसके अध्ययन से वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन को सफल बनाया जा सकता है, भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना को अट्ट मजबूती प्रदान करने के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपने संपर्क एवं ज्ञान का आदान–प्रदान सुचारू रुप से किया जा सकता है, जहा तक अँग्रेजी भाषा से विकास और सम्मान की बात है तो यह कार्य उन्हेअँग्रेजी भाषा के अध्ययन के एक विषय के रुप में स्थापित करके भी सहजता से किया जा सकता है.अतः हिन्दी या मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम हो.

REFERENCES :

1. अग्निहोत्री, प्रभुदयाल २००२,शिक्षा की भारतीय परंपरा आदर्श और प्रयोग,दिल्ली, एन सी ई आर टी
2. कपिल एच के १९८१, अनुसंधान विधियां, आगरा विनोद पुस्तक मंदिर
3. गैरेट हैनरी,१९६५, शिक्षा मनोविज्ञान में सांख्यिकी, विकास पब्लिशिंग हाउस,नई दिल्ली
4. पाण्डेय रामशकल,२०००, मूल्य शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, आर लाल डीपो
5. व्यास, हरिश्चंद्र, २००४, शिक्षा की संस्कृति, श्याम प्रकाशन–जयपुर
6. भारत और समकालीन विश्व–२, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड– राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित कक्षा १० के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक
7. समकालीन भारत–२, २०१४,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड– राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित कक्षा १० के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक
8. Best, J.W. 1986 Research in Education, Prentice Hall of India, Pvt.Ltd. New Delhi
9. Naik, J.P. 2008 The education Commission and After. A.P.H. Pub. Co.New Delhi
10. Pandey, K.P. 1983 Fundamentals of Education Research, Amiteesh Prakashan,New Delhi
11. Sing, S.K. 1997, Dictionary of Education part-2, The Mc Millan Co.New York.

डॉ. हितेश एन. गांधी,
रत्नसिंहजी महिडा कॉलेज, राजपीपला, जि नर्मदा,गुजरात.